## ...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

# अन्तिम डिक्री

| संख्या 77/2009 | धारा अंतर्गत 53 RTA | निर्णय दिनांक 12/03/2022 |
|---|---|---|

समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, बारां

| उपस्थिति - अभिभाषक वादी | अभिभाषक प्रतिवादी |
|---|---|

## वाद शीर्षक

1. भगवान लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी रीछी तहसील बारां

बनाम

1. जानकीबाई पुत्री प्रताप जाति धाकड़ निवासी रीछी तहसील व जिला बारां हाल निवासी गोपालपुरा उर्फ दुर्गापुरा तहसील व जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रारंभिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम रीछी तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

| नाम खातेदार | ख.नं. | रकबा | लगान | दिशा |
|---|---|---|---|---|
| 1. जानकीबाई पुत्री प्रताप जाति धाकड़ सा. देह | 4 | 0.91 | 10.01 | - |
| | 5 | 0.76 | 8.36 | - |
| | कि. 30 | 0.82 | 8.20 | पश्चिमी |
| | किता - 3 | रकबा 2.49 | 26.57 | |
| 2. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ सा. देह रहन-SBBJ शाखा बारां | 26 | 0.96 | 9.60 | |
| | 18 | 0.61 | 6.10 | |
| | 106 | 0.02 | 0.34 | |
| | 112 | 0.08 | 1.36 | |
| | 113 | 0.05 | 0.85 | |
| | कि. 30 | 0.77 | 7.70 | पूर्वी |
| | किता - 6 | रकबा 2.49 | 25.95 | |

साथ ही नियमानुसार ............ रू0 का व्ययानुतोष ............ द्वारा ............ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ............ को निर्गत किया गया।

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।

उप हस्ताक्षर अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

पीठासीन न्यायाधीश एवं ... मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

### व्ययानुतोष

| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 2 | अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 3 | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 4 | प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 5 | पारिश्रमिक अभिभाषक | | |
| 6 | व्यय साक्षी | | |
| 7 | फीस कमिश्नर | | |
| 8 | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |
| 9 | ब्याज (       %) | | |
| | योग | | |

Scanned with CamScanner

# निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
# उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्याः– 77 / 2009 दावा
दायरा दिनांकः– 23.04.2009
निर्णय दिनांक :– 15.7.21

## उनवान

1. भगवान लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी रीठोद तहसील बारां

## बनाम

1. जानकी बाई पुत्री प्रताप जाति धाकड निवासी रीठोद तहसील व जिला बारां हाल निवासी गोद्यापुरा उर्फ दुर्जनपुरा तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

**वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट**
**निर्णय दिनांक :– 15.7.21**

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड़वोकेट – वादी
2 श्री ओमप्रकाश मेहता II एड़वोकेट
3 श्री हरिओम चतुर्वेदी एड़वोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम रीठोद तहसील बारां के हाल खसरा नंबर 106 रकबा 0ण्02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 18 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.96 हेक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल 8 किता रकबा 4.98 हेक्टयर भूमि वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित है। उक्त वादग्रस्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में वादी के 1/2 एवं प्रतिवादिनी क्रम 1 के 1/2 बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। इनमें वादी एवं प्रतिवादिनी क्रम संख्या 1 का बराबर का हिस्सा है। वादी अपने हिस्से पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु खाता शामलाती होने के कारण प्रतिवादिनी क्रम 1 से कहा सुनी हो जाती है, लगान वगैरह जमा कराने मे परेशानी आती है, तथा उक्त आराजी का पूर्ण रूप से विकास नही करा पाता। दिनांक 08.04. 2009 को प्रतिवादिनी क्रम 1 ने वादी के हिस्से की आराजी पर भी आपत्ति कर झगड़ा करने का प्रयास किया। वादी प्रतिवादिनी क्रम 1 के साथ शामलाती खाते को पृथक करवाना चाहता है। वाद कारण दिनांक 08.04.2009 को प्रतिवादिनी क्रम 1 से वादी को उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

हिस्सा काश्त मे आपत्ति करने पर बमुकाम रीठोद तहसील बारां उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीठोद सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 11 एवं साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 पेश की गई। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल नामान्तकरण संख्या 19 ग्राम रीठोद, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 ग्राम रीठोद खाता संख्या 13 नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली तहसील किशनगंज सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 143 नकल जगाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2072–73 खाता संख्या 144, नकल विक्रय–पत्र दिनांक 08.03. 2000 पेश की गई। अनुसार वाद पत्र का मद नंबर 1 स्वीकार है। मद् नंबर 2 अधिकारिता संव्यवहार एवं अंतरण पर आधारित होने से अस्वीकार है, क्योकि मृतक प्रताप के फौती नामांतरण 19 से विवादित आराजी श्रीमति भूली बाई के नाम गलत खाते दर्ज हो गयी। नामातंरण संख्या 19 अवैध एवं शून्य अधिकारातीत होने से काबिल निरस्तनीय है। मद् नंबर 3 बनावटी मिथ्या निराधार होने से अस्वीकार है, क्योकि वादी यह जानते हुये कि वादी की माता भूली बाई का विवादित सम्पत्ति / आराजी मे कोई हक व अधिकार नही है, फिर भी बेईमानीपूर्वक छल–कपट से विवादित आराजी के 1/ 2 हिस्से का बनावटी विक्रय पत्र से अपना नाम खाते दर्ज करवा लिया जो निरस्तनीय है। मद् नंबर 4 मिथ्या निराधार होने से अस्वीकार है, क्योकि वादी विवादित आराजी का विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। मद् नंबर 5 ता 8 अस्वीकार है।

प्रतिवादिनी क्रम संख्या 1 द्वारा प्रतिदावा इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादिया क्रम 1 के पिता मृतक प्रताप के परिवार के सजरे अनुसार पत्नि सुरज्या बाई, पुत्री जानकीबाई एवं रखैल मृतका भूलीबाई पत्नि कन्हैयालाल धाकड़ निवासी खेडली है। वादी भगवान लाल रखैल मृतका भूली बाई का पुत्र है। मृतक प्रताप की विवाहिता धर्मपत्नि सुरज्या बाई थी, जिसकी एक मात्र पुत्री प्रतिवादनी क्रम 1 है। प्रतिवादिनी जानकी बाई के बाल्यकाल मे माता सुरज्या बाई का देंहात होने से पिता प्रताप ने अपनी वृद्वावस्था मे देखभाल हेतु कन्हैयालाल धाकड़ निवासी खेडली की विवाहिता धर्मपत्नि को अपने पास रख लिया। खातेदार प्रताप की 1994 मे मृत्यु उपरान्त फौती इंतकाल नंबर 19 से वादी की माता भूलीबाई का नाम प्रतिवादिनी क्रम 1 के साथ समभाग खाते दर्ज गलती से हो गया, जो अवैध एवं शून्य है। वादी ने अपनी माता भूलीबाई के नाम उक्त आराजी का अवैध एवं शून्य इंतकाल दर्ज होने से विवादित आराजी को हड़पने की नियत से वादी ने बनावटी एवं प्रतिफल रहित अधिकारातीत विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2000 माता भूली बाई से निष्पादित करवा कर आधी विवादित आराजी अवैध एवं शून्य अंतरण से अपने खाते दर्ज करवा ली। प्रतिवादिया क्रम 1 विवादित आराजी के सयुक्त खातेदार से वादी का नाम निरस्त करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी क्रम 1 अपने पिता प्रताप की एक मात्र सन्तान व जायज उत्तराधिकारी होने से एक मात्र मालिक स्वामिनी एवं खातेदार कृषक होने की घोषणा [illegible] है। वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत करने से प्रतिदावा प्रस्तुत करना आवश्यक [illegible] है। विभाजन वाद की सूचना दिनांक 09.02.2010 से प्रतिवादिया को प्र[illegible] उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी के फोती इन्तकाल संख्या 19 [illegible] प्रतिवादिनी क्रम 1 को विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण आराजी का खातेदार कृषक घोषित कर वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाकर इस आशय की डिक्री जारी करने का कथन किया है।

वादी द्वारा जर्ये अभिभाषक काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया, कि प्रतिदावे के मद् नंबर 1 में जो सजरा दर्शाया गया है। वह गलत है। भूली बाई का विवाहिता पति भंवरलाल निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज था। भवंरलाल के फौत होने के बाद भूली बाई कन्हैयालाल निवासी खेडली के नाते चली गयी। कन्हैयालाल के निधन के बाद पागलखेडा नाते चली गई। भूली बाई कन्हैयालाल के साथ 22 वर्ष रही, कथन गलत है। भूली बाई कन्हैयालाल के साथ बतौर पत्नि 33 साल साथ रही। इस कारण वह कन्हैयालाल की विवाहिता पत्नि है। उसको समस्त अधिकार प्राप्त है, जो एक पत्नि को प्राप्त होते है। मद् नंबर 2 काउन्टर क्लेम अस्वीकार है। इंतकाल संख्या 19 बिलकुल सही खोला गया है, क्योकि भूलीबाई 33 वर्ष तक बहैसियत पत्नि रही है, पत्नि के समस्त अधिकार प्राप्त थे। भूलीबाई को मरे हुये काफी समय हो गया। भूली बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड बेचान नामे से विवादित आराजी को बेचान किया है, जिसको निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। मद् नंबर 3 काउन्टर कलेम अस्वीकार है, क्योकि दिनांक 08.03.2000 का विक्रय पत्र प्रतिफल सहित हुआ है, जिसको निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। मद् नंबर 4 ता 7 काउन्टर क्लेम अस्वीकार है।

माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का अधिकार नही है, क्योकि 08.03.2000 के बंधनामे की मार्केट वेल्यू पर जो स्टाम्प ड्यूटी दी गयी थी, आज वादग्रस्त भूमियों के 1/2 हिस्से की जो बाजारू कीमत है, उस पर निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे वाद पेश होना चाहिये तथा वादग्रस्त भूमियां की वर्तमान बराबर कीमत 50000/—रू. से अधिक है। इस कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां को विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2000 को निरस्त करने का अधिकार है। माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नही है। जवाबउल जवाब के साथ विशेष आपत्तियां इस आशय की अंकित की कि इंतकाल नंबर 19 रजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर खोला गया है, जिसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादियां बेरून मियाद पेश किया है, वर्ष 2000 में हुए रजिस्टर्ड बेचान नामा को निरस्त करवाने की मियाद 3 वर्ष है, जिसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः काउन्टर क्लेम प्रतिवादिया निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा एवं प्रतिदावा जवाब उल जवाब तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :—

तनकी नंबर 1 :— आया वाद पत्र की मद् नंबर 1 में वर्णित भूमियां ग्राम रीठोद तहसील बारां मे स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा है।

तनकी नंबर 2 :— आया इंतकाल संख्या 19 अवैध एवं शून्य है।

तनकी नंबर 3 :— आया विक्र पत्र दिनांक 08.03.2000 शून्य है।

तनकी नंबर 4 :— दादरसी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उप ... अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा जर्ये अभिभाषक लिखित बहस इस आशय की पेश की गई कि ग्राम रीठोद तहसील बारां के हॉल खसरा नंबर 106 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.08. हेक्टेंयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.96 हेक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल 8 किता रकबा 4.98 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 व प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी द्वारा अपने हिस्से का बटवारा कर पृथक से खाता विभाजन कराने एवं लगान का निर्धारण कराने के बाद किया। उक्त आराजी पूर्व में प्रताप पुत्र शंकर जाति धाकड़ के नाम दर्ज थी, जो इन्तकाल क्रमांक 19 दिनांक 04.01.1994 को खोला जाकर पुत्री जानकी बाई एवं भूली बाई बेवा के नाम समान हिस्सा 1/2 दर्ज किया, जो प्रदर्श 1 है। वर्तमान खाते की नकल प्रदर्श 2 है। उक्त आराजी भूली बाई बेवा रामप्रताप द्वारा दिनांक 06.03.2000 को वादी के पक्ष मे बेचान किया गया, जिसका विक्रय पत्र के स्टाम्प दिनांक 06.03.2000 को निकलवाये गये व विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2000 को लिखाया जाकर पंजियन दिनांक 08.03.2000 को उपंपजियन अधिकारी द्वारा किया गया, जो प्रदर्श 5 है। वादी अपने हिस्से की 1/2 आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु खाता शामलाती होने से वादी को अपने हिस्से की आराजी पर भू–सुधार, बैंक ऋण, मुआवजा, सरकारी सुविधायें इत्यादि में परेशानियां आती है। इस कारण खाता अलग कराने के लिए वाद पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवॅाब दावे एवं प्रतिदावें दिनांक 23.06. 2010 को पेश किया। इसके पूर्व प्रतिवादी द्वारा इन्तकाल क्रमांक 19 दिनांक 04.01.1994 व विक्रय–पत्र दिनांक 06.03.2000 जो पंजियन दिनांक 08.03.2000 को हुआ, पर कोई आपत्ति नही की गई। वादी द्वारा अपने हिस्से का बटवारा कराने का वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिदावा पेश किया, जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है। प्रतिदावे में प्रतिवादिया द्वारा इन्तकाल नंबर 19 एवं विक्रय–पत्र दिनांक 08.03.2000 को निष्प्रभावी घोषित कराये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार किसी भी वाद या प्रतिवाद पत्र में घोषणा चाही गई है, तो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इस पर विधि के दृष्टान्त (1) आर.आर.डी. मार्च 2006 पेज नंबर 107 उनवान रामनिवास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे डबल बेन्च द्वारा, (2) डी.एन.जे. 1 वर्ष 2007 पेज नंबर 548 नरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग (3 ) डी.एन.जे. सुप्रिम कोर्ट 2007 (1) पेज 325 बउनवान बजाज हिन्दुस्तान शुगर एवं इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड में, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया है, तो वाद किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावें में 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिये जाने से प्रतिदावा चलने योग्य नही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का खाता पृथक–पृथक से राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने एवं पृथक से लगान निर्धारण करने का निवेदन किया है।

बहस वकील प्रतिवादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रतिवादिया द्वारा जवाब दावे एवं प्रतिदावे मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है, कि मृतका भूली बाई मृतक प्रताप जी की रखैल थी। भूली बाई ने बिना तलाक के दूसरी शादी किस प्रकार की नाता विवाह नही किया। वादी भगवानलाल [illegible] भगवान पुत्र कन्हैयालाल लिखा हुआ है, ये प्रताप का पुत्र नही है। उक्त आराजी [illegible] प्रताप की मृत्यु के बाद भूलीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कर रही थी। इस कारण नामांतकरण मे आपत्ति नही की। प्रतिवादिया जानकी बाई एक मात्र जायज वारिस है। गैलड का प्रताप जी की सम्पत्ति में कोई हक नही है। नामान्तकरण कार्यवाही फिक्सल प्रोसेड़िग है। वादी को अपने पिता कन्हैयालाल की सम्पत्ति में से हिस्सा प्राप्त हो चुका है। भूली बाई द्वारा वादी के पक्ष में बनावटी बेचान नामा बनवाया गया है। बिना प्रतिफल बेचान सम्भव नही है। काउन्टर क्लेम मे 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही जाता है। यह पृथक दावा नही है। भूली बाई के जीवन यापन के लिए भूमि दी थी। भूली बाई की मृत्यु पर वापस जानकी बाई के खाते दर्ज होनी चाहिये थी। बनावटी बेचान नामे से भूमि वादी के खाते दर्ज हुई है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादिया स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादिया को सम्पूर्ण विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन पूर्वक अवलोकन किया गया, तथा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया गया :–

तनकी नंबर 1 :– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 ग्राम रीठोद खाता संख्या 11 से यह प्रमाणित है, कि ग्राम रीठोद की आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.08. हेक्टेंयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.96 हेक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल 8 किता रकबा 4.98 हेक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादिया का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 :– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादिया पर था। प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 नकल नामान्तकरण संख्या 19 के कॉलम संख्या 1 से 3 मृतक प्रताप के पारिवारिक सजरे तथा कॉलम संख्या 14 से 16 में अंकित पटवारी रिपोर्ट मे भूली बाई को मृतक की बेवा होना अंकित किया है। उक्त नामान्तकरण दिनांक 04.01.1994 को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कोई अपील / उज्र हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिदावे से पूर्व नही किया है। प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत स्वंतत्र गवाह डी.डब्ल्यू 2 एवं डी.डब्ल्यू 3 द्वारा भी भूली बाई का मृतक के साथ रहना तथा मृतक के घर पर ही भूली बाई के फोत होने का कथन किया है। साथ ही वादी स्वयं ने भी अपने बयान पी.डब्ल्यू 1 में भूली बाई वादी की सगी मां होना तथा वादी का जन्म भूली बाई व कन्हैयालाल के नुत्फे से होना अंकित बताया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादिया का यह कथन प्रमाणित है, कि भूली बाई मृतक प्रताप की पत्नी नही थी, परन्तु प्रतिवादिया ने नामान्तकरण संख्या 19 के हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिदावे से पूर्व सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादिया के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया पर था। जैसा कि तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका [illegible] तक भूली बाई मृतक प्रताप की विवाहित पत्नी नही थी, परन्तु भूली बाई को [illegible] था। मृतक प्रताप के फोत होने पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 19 मे [illegible] की मृतक प्रताप की बेवा अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कर तस्दीक किया गया है, जो विधिवत सही है। तथा इस नामान्तकरण से खाते मे आई भूमि का भूली बाई ने बेचान नामा वादी के पक्ष मे पंजियन करवाया है, परन्तु रजिस्टर्ड बेचान को शून्य घोषित कराने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड बेचान नामा को शून्य घोषित करने का अधिकार मान्य शिविर न्यायालय को है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि मृतक प्रताप द्वारा विवाहित पत्नी फोत हो जाने के बाद भूली बाई को नाते लेकर आया था। नामान्तकरण संख्या 19 ग्राम रीठोद मे मृतक प्रताप के पारिवारिक संजरा से यह स्पष्ठ होता है, कि जानकी बाई पुत्री, भूलीबाई बेवा थी। मृतक भूली बाई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2000 से अपने हिस्से की आराजी भगवान लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी रीठोद को बेचान की गई थी। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर मृतक भूली बाई को मृतक प्रताप की रखैल होना बताया है। परन्तु प्रतिवादिया जानकी बाई द्वारा मृतक प्रताप के फोती नामान्तकरण संख्या 19 को खारिज करने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की है, और ना ही प्रतिवादीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही माननीय सिविल न्यायालय में पेश की गई। वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी का पृथक–पृथक विभाजन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया, तब प्रतिवादिया द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यदि प्रतिवादिया क्रम 1 को सम्पूर्ण भूमि अपने खाते दर्ज करवाना चाहती तो सबसे पहले नामान्तकरण संख्या 19 को चैलेन्ज / खारिज कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। जो प्रतिवादिया द्वारा नही की गई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रीठोद तहसील बारां के खसरा नंबर 106 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.08. हेक्टेंयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.96 हेक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल 8 किता रकबा 4.98 हेक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखा या जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# ...यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

## प्राथमिक डिक्री

| वाद संख्या 77/2019 | धारा अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांक : 15.07.2021 |
|---|---|---|
| समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां | | |
| उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता | अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री हरिओम चतुर्वेदी | |

### वाद शीर्षक

### उनवान

1. भगवान लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी रीठोद तहसील बारां

### बनाम

1. जानकी बाई पुत्री प्रताप जाति धाकड निवासी रीठोद तहसील व जिला बारां हाल निवासी गोदयापुरा उर्फ दुर्जनपुरा तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रीठोद तहसील बारां के खसरा नंबर 106 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.08. हेक्टेंयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.96 हेक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल 8 किता रकबा 4.98 हेक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.7.21 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

| व्ययानुतोष | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
| 1. | वद पत्र/लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिक अभिभाषक | | |
| 6. | व्यय साक्षी | | |
| 7. | फीस कमिश्नर | | |
| 8. | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |
| 9. | ब्याज (:) | | |
| 10. | योग | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner